संख्या-34/2021/जी0आई0-08/52-1-2021-28(एम0एस0डी0पी0)/11

प्रेषक,

शिवाकान्त द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
620-इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 मार्च, 2021

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम(पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर तैनात/कार्यरत 98 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के माह-माह मार्च, 2020 से माह फरवरी 2021 (कुल 12 माह) तक के पारिश्रमिक/मानदेय की धनराशि के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय व्यय हेतु आवंटित धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3096/अ0सं0क0नि0-से0प्र0-पी0एम0जे0वी0के0/20 दिनांक 05.01.2021 जिसके द्वारा आई0टी0सेल0 में कार्यरत 98 कम्प्यूटर आपरेटर्स के माह मार्च, 2020 से माह फरवरी, 2021 तक के भुगतान का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/58/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 21.01.2021 द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम(पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर आई0टी0सेल के अन्तर्गत तैनात/कार्यरत 98 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के माह मार्च, 2020 से माह फरवरी, 2021 (कुल 12 माह) तक के पारिश्रमिक/मानदेय की केन्द्रांश रू0 251.81353 लाख अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 251.81353 लाख में से चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-48 के **सम्बन्धित लेखा शीर्षक-**2235-0103-16 **में बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि रू0 168.1006 लाख (रूपये एक करोड़ अरसठ लाख दस हजार साठ मात्र)** अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(के0-100/रा0-00) (रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	डेटा इंट्री आपरेटरों की संख्या	भा0स0 द्वारा स्वीकृत प्रति माह कुल मानदेय की धनराशि	भा0स0 द्वारा स्वीकृत 12 माह हेतु कुल मानदेय की धनराशि (केन्द्रांश)	प्रति माह मानदेय की धनराशि	2020-21 में भा0स0 द्वारा 12 माह हेतु अवमुक्त मानदेय की धनराशि (केन्द्रांश)	बजट की उपलब्धता के अनुसार अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित मानदेय की धनराशि (केन्द्रांश)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	विभिन्न जनपद /स्थान	98	0.21420	251.89920	0.18	251.81353	168.1006
	योग	98	**0.21420**	**251.89920**	**0.18**	**251.81353**	**168.1006**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- भारत सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी0-1-196/ दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है ।

(4)- **धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी।** उपरोक्त कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(5)- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7)- अवमुक्त धनराशि का व्यय केवल योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक पर ही किया जायेगा तथा भुगतान सेवा प्रदाता एजेन्सी को ही किया जायेगा। कार्मिकों की संख्या व उनके कार्य के औचित्य का सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जायेगी ।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0सेल की स्थापना (के0-100/रा0-00)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी0-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 के प्रस्तर-1(8) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-198/दस-2021, दिनांक 02 मार्च, 2021 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या-जी0आई0-08 (1)/52-1-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त-ई-4 अनुभाग/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।